By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-3

Topic – The Basic features of Indian Constitution

Class – B.A. Degree-II (Hons., P-III)

Subject – Political science

Date – 12 August, 2020

By Rahul kumar Jha

भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताएँ :-

परिसंघीय अथवा एकात्मक :- वास्तव में उत्तम श्रेणी के परिसंघ में, परिसंघीय संस्कार को केवल वही शक्तियां प्राप्त होती है, जो इसे इकाइयों द्वारा समझौते के माध्यम से दी जाती हैं। इसके अलावा, अनिवार्य है कि यदि परिसंघ तथा राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो इसके निपटान के लिए एक स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो।

भारत के संविधान का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। इसे अर्धपरिसंघीय कहा गया है। इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केन्द्र-समर्थक भी कहा गया है।

इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। असल में, हमारे संविधान को किसी कठोर परिसंघीय या एकात्मक के ढांचे में कसना कठिन है।

इसमें दोनों की विशेषताएं हैं

इसे एकात्मक नहीं माना जा सकता क्योंकि, उदाहरण के लिए, इसमें संघ तथा राज्यों के बीच कार्यपालक तथा विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है और राज्यों की शक्तियों को प्रभावित अथवा संघ तथा राज्य के संबंधों को प्रभावित करनेवाले प्रावधानों में राज्य के अनुसमर्थन के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता। इसे पूरी तरह से परिसंघीय भी नहीं माना जा सकता क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित हैं। जैसा कि डा. अंबेडकर ने कहा था, अनम्यता तथा विधिवाद परिसंघवाद की दो गंभीर कमजोरियां हैं। भारतीय प्रणाली

इस दृष्टि से अनूठी है कि इसमें इकहरी भारतीय नागरिकता वाली दोहरी राज्य व्यवस्था रखी गई है, और व समय और हालात की जरूरतों के अनुसार एकात्मक तथा परिसंघीय दोनों ही हो सकती है।

अनुच्छेद 249 के अधीन, संघ की संसद राज्य सूची का अतिक्रमण कर सकती है। अनुच्छेद 356 तथा 357 के अधीन, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, उसकी सभी कार्यपालक तथा विधायी शक्तियाँ को संघ अपने हाथ में ले सकता है और अनुच्छेद 352 से 354 के अधीन, संविधान को पूर्णरूपेण एकात्मक रूप दिया जा सकता है क्योंकि आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान, संघ की कार्यपालक तथा विधायी शक्तियां राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर भी लागू हो सकती है। अंततः अनुच्छेद 2, 3 और 4 के अधीन, संघ की संसद साधारण बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, उनकी सीमाओं या उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है।

CHAPTER CONTINUE---